Order Sheet [Contd] Case No15/17 B.A. Cr.P.C.

Date of Order or proceeding with Signature of presiding 13—1—17 31—17 31—17		Case No15/17 B.A Cr.P.C	
शासन द्वारा अपर लोक अमियोजक । अधीनस्थ न्यायिक मजिस्द्रेट प्रथम श्रेणी गोहद सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी के न्यायालय से आपराधिक प्रकरण कं0 718/10 इ०फो० पुलिस एण्डोरी बनाम सुगरसिंह आदि खारिजा दिनांक 19-12-16 प्राप्त हुआ । अावेदक/आरोपी की ओर से पेश आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 439 जा0फो० में बताया गया है कि यह उनका प्रथम नियमित जमानत आवेदनपत्र है इसके अतिरिक्त अन्य कोई जमानत आवेदनपत्र न ही निरस्त हुआ है तथा न ही किसी अन्य न्यायालय में लिखत होना बताया गया है । आवेदक/आरोपी की ओर से पेश आवेदनपत्र में निवेदन किया गया है कि पुलिस थाना एण्डोरी के द्वारा एक झूठा अपराध का अमियोगपत्र पेश किया था जो प्रठकंठ 718/10 इ०फो० पर संचालित है । उक्त प्रकरण में आवेदक न्यायालय में जमानत पर होकर नियत पेशियों पर आता रहा है । किन्तु नियत पेशी दिनांक 1-8-16 के पूर्व आवेदक के पीता की तिबयत अत्यधिक खराब हो गयी जिससे आवेदक उनके ईलाज हेतु ग्वालियर चला आया और अपने पिता के इलाज में व्यस्थ हो गया इस कारण सूचना अभिभाषक को नहीं दे सका । जिससे उसके जमानत मुचलके जप्त कर गिरफतारी बारंट जारी कर दिया है जिसके पालन में उसे गिरफतार कर निरोध में भेज दिया गया है तब से वह निरोध में वंदी है । आवेदक स्वंय पीलिया रोग से पीडित है और कृषि पेशा व्यक्ति है जो कृषि कर अपने परिवार का भरण पोषण करता है । यदि उसे अधिक समय तक अभिरक्षा में रखा गया तो उसके परिवार के भूखों मरने की स्थिति आ जायेगी । वह जमानत की सभी शर्तों का पालन करने को तैयार है । ऐसी दशा में उसे नियमित जमानत पर छोडे जाने का निवेदन किया गया है । राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने विरोध किया । उपरोक्त संबंध में विचार किया गया । दिनांक 1-8-16 को अभियुक्त परीक्षण की स्टेज पर आरोपी के अनुपस्थित हो जाने से	Order or	Order or proceeding with Signature of presiding	Parties or Pleaders where
निर्देशीय वर्षास्य वर्षा आयर्था विश्व वर्षा वर वर्षा व	13-1-17	शासन द्वारा अपर लोक अभियोजक । अधीनस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी के न्यायालय से आपराधिक प्रकरण कं0 718/10 इ0फो0 पुलिस एण्डोरी बनाम सुगरसिंह आदि खारिजा दिनांक 19–12–16 प्राप्त हुआ । अवेदक/आरोपी की ओर से पेश आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 439 जाठफो० में बताया गया है कि यह उनका प्रथम नियमित जमानत आवेदनपत्र है इसके अतिरिक्त अन्य कोई जमानत आवेदनपत्र न ही निरस्त हुआ है तथा न ही किसी अन्य न्यायालय में लम्बित होना बताया गया है । आवेदक/आरोपी की ओर से पेश आवेदनपत्र में निवेदन किया गया है कि पुलिस थाना एण्डोरी के द्वारा एक झूठा अपराध का अभियोगपत्र पेश किया था जो प्रठकंठ 718/10 इठफो० पर संचालित है । उक्त प्रकरण में आवेदक न्यायालय में जमानत पर होकर नियत पेशियों पर आता रहा है । किन्तु नियत पेशी दिनांक 1–8–16 के पूर्व आवेदक के पिता की तबियत अत्यधिक खराब हो गयी जिससे आवेदक उनके ईलाज हेतु ग्वालियर चला आया और अपने पिता के इलाज में व्यस्थ हो गया इस कारण सूचना अभिभाषक को नहीं दे सका । जिससे उसके जमानत मुचलके जप्त कर गिरफतारी बारंट से तलव किये जाने का आदेश दिया गया है और दिनांक 19–12–16 को स्थाई गिरफतारी बारंट जारी कर दिया है जिसके पालन में उसे गिरफतार कर निरोध में भेज दिया गया है तब से वह निरोध में बंदी है । आवेदक स्वंय पीलिया रोग से पीडित है और कृषि पेशा व्यक्ति है जो कृषि कर अपने परिवार का भरण पोषण करता है । यदि उसे अधिक समय तक अभिरक्षा में रखा गया तो उसके परिवार के भूखों मरने की स्थिति आ जायेगी । वह जमानत की सभी शर्तों का पालन करने को तैयार है । ऐसी दशा में उसे नियमित जमानत पर छोडे जाने का निवेदन किया गया है । राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने विरोध किया । उपरोक्त संबंध में विचार किया गया । दिनांक 1–8–16 को	

को फरार घोषित कर गैर मियादी गिरफतारी बारंट जारी करने का आदेश दिया गया है । आरोपी दिनांक 9–1–17 को गिरफतार कर उसे उप जैल गोहद भेजा गया है ।

आवेदक अधिवक्ता ने अपने तर्क में मुख्य रूप से व्यक्त किया कि पिता की तिबयत अत्यधिक खराब हो जाने से वह उनके ईलाज में व्यस्थ रहा है इस कारण वह न्यायालय में पूर्व में उपस्थित नहीं हो सका था और बाद में वह स्वयं पीलिया रोग से गृषित हो गया था । वह प्रत्येक पेशी दिनांक पर न्यायालय में उपस्थित रहेगा एवं न्यायालय की सभी शर्तों का पालन करेगा ।

उपरोक्त संबंध में विचार किया गया । आरोपी गैर मियादी गिरफतारी बारंट के पालन में गिरफतार कर दिनांक 9—1—17 को अभिरक्षा में भेजा गया है । प्रकरण में अन्य सह आरोपी के विरुद्ध भी गैर मियादी गिरफतारी बारंट का आदेश है उसकी भी उपस्थिति अभी होनी है । प्रकरण में आरोपी के द्वारा अपने पिता एवं स्वंय के बीमार होना अपनी अनुपस्थिति का कारण बताया है किन्तु इस संबंध में कोई प्रमाण पेश नहीं किया गया है । ऐसी दशा में यद्यपि आरोपी की ओर से अनुपस्थिति का बताया कारण समुचित नहीं कहा जा सकता किन्तु आरोपी जो कि दिनांक 9—1—17 से अभिरक्षा में है तथा उसे अनुपस्थित

रहने का पर्याप्त सबक मिल चुका है । आरोपी के द्वारा जमानत आवेदन का प्रथम बार उल्लंघन किया गया है । प्रकरण के निराकरण में जो कि सह आरोपी के विरूद्ध गिरफतारी बारंट का आदेश है और अभी अभियुक्त परीक्षण भी होना है समय लगने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

विचारोपरान्त उपरोक्त संपूर्ण तथ्यों, परिस्थितियों को देखते हुये आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 439 जा0फो0 स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि आवेदक संबंधित विचारण न्यायालय की संतुष्टि योग्य 40000/—,40000/—चालीस चालीस हजार रूपये की दो सक्षम जमानतें एवं 80000/—अस्सी हजार रूपये का व्यक्तिगत बंध पत्र इस आशय का पेश हो कि प्रत्येक पेशी दिनांक को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित रहेगा और प्रकरण के त्वरित निराकरण में सहयोग प्रदान करेगा तो उसे नियमित जमानत पर छोडे जाने का आदेश दिया जाता है। आरोपी के पूर्व मुचलके की राशि में से संबंधित न्यायालय राशि राज सात किये जाने के लिये स्वतंत्र रहेगा।

आदेश की एक प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकार्ड वापिस किया जाये ।

परिणाम दर्ज कर दाखिल रिकार्ड हो ।

ए०एस०जे०गोहद	